P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

राज्य निर्माण के बाद उत्तराखण्ड में पलायन का एक ऐतिहासिक अवलोकन

दिनेश कुमार जैसाली
शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
डी0ए0वी0पी0जी0,
देहरादून
(हे0न0ब0ग0पू0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
श्रीनगर गढ़वाल,
उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

पलायन एक वैश्विक समस्या है तथा इसका स्थाई समाधान नहीं है। न ही इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। उत्तराखण्ड में प्रत्येक वर्ष कुल जनसंख्या का 35 % से अधिक हो रहा है। इस कारण इसे एक विकराल समस्या के रूप में माना जा रहा है।

मूलतः यहाँ के पलायन का सबसे वास्तविक कारण रोजगार है परन्तु वर्तमान की बदलती जीवन पद्धति, माइक्रो फैमिली की विचारधारा, पलायन की इस विकराल स्थिति को भयावह बना रहा है। सरकार की प्रत्येक नीति असफल इसलिए हो रही है क्योंकि पलायन नीति के निर्माता सरकार के ए.सी. कमरों में बैठकर नीति का निर्माण कर रहे है, जिनका पलायन स्थलों की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।

मुख्य शब्द : पलायन, रोजगार, पूँजीवादी युग।

प्रस्तावना

पलायन (migration) मानव सभ्यता के विश्व व्यापक होने का एक महत्वपूर्ण कारक है, अफ्रीका से होमो इरेक्टस के रूप में पलायन करने वाले मानव के आदिम स्वरूप का सम्पूर्ण विश्व में विस्तार हुआ, विश्व की प्रत्येक सभ्यता के अस्तित्व का कारक पलायन है, भारत के आदिम मानव से लेकर सिन्धु तथा वैदिक सभ्यता के निर्माण में पलायन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है उत्तराखण्ड का हिमालयी क्षेत्र प्रारम्भ में जन शून्यता को दर्शाता है वही पलायन के कारण आज विविध सभ्यता, संस्कृति का केन्द्र है परन्तु आज पूँजीवादी युग में अर्थ के अर्जन एवं सुविधा पूर्ण जीवन यापन करने हेतु बहुत बड़ी मात्रा में उत्तराखण्ड के पहाड़ों से लोगों का पलायन हो रहा है, पहाड़ जन शून्य होते जा रहें है गांव भूतहा होते जा रहे उत्तराखण्ड की जनसंख्या का 70 प्रतिशत हिस्सा पलायन की भेंट चढ़ चुका है, जिस कारण यहाँ की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दशाओं पर व्यापक प्रभाव पढ़ा है, शोधार्थी का मूल विषय इतिहास है तथा ऐतिहासिक संदर्भ में ही पलायन को परिभाषित करने का प्रयास किया जायेगा शोधार्थी प्रथम शोधकर्ता है जिनके द्वारा इतिहास के आधार पर पलायन को परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है और शोधार्थी का यह मानना है कि पलायन अन्य विषयों के अगल इतिहास से ज्यादा संम्बंधता रखता है ।

पलायन के कारण	प्रवासन की अवधि 0–9 वर्षो मेंल			प्रवासन का प्रतिशत		
	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
कुल पलायन	103375	35099	68276	100	108	100
कार्य–रोजगार	18344	16485	1859	17 7	47	2 7
व्यापार	448	288	160	.4	.8	02
शिक्षा	2859	3158	701	2.8	6.1	1.0
विवाह	43633	462	43171	42.2	1.3	63.2
जन्म के बाद प्रवास	596	334	262	0.6	1.0	0.4
परिवार के साथ प्रवास	31248	11797	14451	30.2	33.6	28.5
पूर्व में प्रवास–परिवार, गृहस्थी	6247	3575	2672	6.0	10.2	3.9

भारत के 27वें राज्य उत्तराखण्ड का भौगोलिक विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट अक्षांश से 77 डिग्री 24 मिनट से 81 डिग्री 02 तक है। यह एक ऐतिहासिक राज्य है जिसका उल्लेख रामायण में कारूपथ तथा महाभारत में किलिंद प्रदेश में किया गया। वैदिक साहित्यों के अतिरिक्त इस भूखण्ड का उल्लेख स्कंद पुराण में केदारखण्ड –मानस खण्ड तथा प्राचीन बौध साहित्य में हिमवन्त प्रदेश में किया, इस प्रदेश का प्रभात भौगोलिक विभाजन 1815 में अंग्रेजों तथा गोरखाओं के बाद हुई सिंगौली की . संधि को माना जाता है। 1947 की आजादी के बाद इसका अधिकतर क्षेत्र भारत संघ में शामिल हो गया तथा तत्कालीन उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग बन गया। पृथक पर्वतीय राज्य गठन हेतु यहां की जनता के द्वारा अभूतपूर्व संघर्ष के बाद 9 नवम्बर 2000 को भारत के 27वें राज्य तथा 11वें हिमालयी राज्य के रूप में गठन हुआ।

अभूतपूर्व सुन्दरता से युक्त देवभूमि पहाड़ झीलों मैदानों के प्राकृतिक विशेषताओं को अपने में समाहित किया। यह भूमि अनेक जीव जन्तुओं का बसेरा है। यह न केवल भारत में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में अपने धार्मिक–प्राकृतिक जैविक विविधताओं के लिए विरासत को संजोकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर अपने इस मूल्यों का वाहक बना हुआ है। इस पृथक राज्य के गठन हेतु यहां के लोगों ने अपना अभूतपूर्व बलिदान दिया ताकि यहां के पहाडों के समान समस्याओं का समाधान किया जा सके जिससे यहां से होने वाला पलायन अवरूद्ध हो जाये। जाने माने समाजसेवी एवं पर्यावरण विद पद्म श्री अनिल जोशी के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद पलायन की गति तेज हुई जिससे वे बेराजगारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य सामाजिक विविधता जैसी समस्याओं को पलायन का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं उनके अनुसार वनों के अत्यधिक दोहन से अधिक पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हुई जिससे भूस्खलन पानी की समस्या उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में विकराल रूप धारण कर रही है। उनके अनुसार पौड़ी के बांइला गावं में 62 वर्षीय वृद्ध महिला विमला देवी रहती है बाकि सारा गांव पलायन कर चुका है ऐसे अनेक उदाहरण दृष्टिगत होते है सरकारी आकड़ों के अनुसार सन् 2000 से 2010 के बीच उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों मे आधारभूत सुंविधाओं के अभाव में 86 प्रतिशत लोगों ने पलायन किया है जिससे राज्य में करीब 240 प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं पौड़ी जिले के द्वारीखाल के बासुकी गांव ने इस लिये पलायन किया क्योंकि उनके 10 किमी0 क्षेत्रफल में कोई प्राथमिक विद्यालय वर्तमान में नही है।

उत्तराखण्ड भारत में होने वाले पलायन से प्रभावित राज्य में से एक है यहाँ का पलायन औसत हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक है यहाँ का पलायन औसत 25 प्रतिशत है, सन् 2000 में राज्य गठन के बाद उत्तराखण्ड से पलायन की प्रवृति में इजाफा हुआ है। यह पलायन मूलतः पर्वतीय क्षेत्रों में से मैदानी क्षेत्रों की ओर हो रहा है सन् 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड के गांवों में 74.89 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार यह घटकर 69.70 ही रह गयी है। एशियन जनरल फोर रिसर्च इन साइंस एण्ड हयूमनटीज का अवलोकन करने पर यह दृष्टिगत होता है कि नवम्बर 2000 को उत्तराखण्ड में मैदानी तथा पहाड़ी जनसंख्या का अनुपात लगभग समान था लेकिन 2014–15 के रिसर्च में पलायन का एक अभूतपूर्व नतीजा देखने में आया कि उत्तराखण्ड के 13 जिलों में मैदानी जिलों में 62 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जबकि 10 पर्वतीय जिलों में मात्र 38 प्रतिशत जनसंख्या घनत्व के साथ हरिद्वार जिला प्रथम स्थाान पर जबकि उत्तरकाशी जनपद में जनसंख्या घनत्व 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। वर्ष 2013 में जून माह की आपदा के बाद पलायन में यकायक वृद्धि हुई गढ़वाल के बद्रीनाथ, केदारनाथ क्षेत्र तथा चमोली और रूद्रप्रयाग जिले में पलायन की दर में अचानक तेज वृद्धि हुई। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड के 75 प्रतिशत गांव पलायन से खाली होने के कगार पर है हे0न0ब0ग0 विश्वविद्यालय के शोधार्थी दिनेश कुमार जैसाली के सर्वे के अनुसार 2014 तक उत्तराखण्ड के पहाडों में निवास करने वाली 60 प्रतिशत जनसंख्या राज्य निर्माण के बाद पलायन कर चुकी है। शोधार्थी के अनुसार सन् 2025 तक उत्तराखण्ड के दूरस्थ गांव पूरी तरह से खाली हो जायेगें तथा पहाडी क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर भी पलायन का दबाव बढ़ेगा तथा जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। उत्तराखण्ड सरकार एवं सांख्किीय विभाग के आकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड की दशकीय जनसंख्या वृद्धिदर 19.17 रही है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है जबकि उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में 11.3 प्रतिशत है तथा शहरी क्षेत्रों में 48.64 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर है। उत्तराखण्ड अर्थ एवं साख्यिकीय विभाग के आकड़ों के अनुसार 2011–12 में 319 तथा 165 शहरी क्षेत्रों के बीच कराये गये सर्वे में प्रति एक हजार ग्रामीणों पर 864 लोग प्रतिवर्ष पलायन कर रहे है, सन् 2012 में के नेशलन सेम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिर्पोट के अनुसार माइग्रेशन इन इण्डिया में चौकाने वाले साक्ष्य सामने आये है कि उत्तराखण्ड में गांव से ही नही अपितु शहरों से भी लोग पलायन कर रहे है प्रति हजार लोगों पर 886 लोग पलायन कर रहे है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 344 व्यक्तियों ने सन् 2012 में पलायन किया। शहरी क्षेत्रों में प्रति हजार पुरूषों पर 379 पुरूष तथा प्रति हजार महिलाओं पर 587 महिलायें पलायन कर रही है। जबकि गांवों में एक हजार पुरूषों पर 151 पुरूष तथा प्रति हजार महिलाओं पर 539 महिलायें पलायन कर रही है, जिसमें महिलाओं का विवाह भी पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण है इतना ही नहीं कुमायुँ मण्डल के अल्मोडा जिले की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक में 1.73 प्रतिशत तथा पौड़ी जिले की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक में 1.51 प्रतिशत है इसके अतरिक्त चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर 5 प्रतिशत से कम रही है। उत्तराखण्ड राज्य में विथापित हो कर आये व्यक्तियों मेंसे 800295 लगभग 80.3 प्रतिशत इसी राज्य से 122308 लगभग 19.23 प्रतिशत अन्य राज्यों से तथा 7392 लगभग 0.74 प्रतिशत अन्य देशों से विस्थापित होकर उत्तराखण्ड में बसे है।

उत्तरखण्ड सरकार के अर्थ एवं संख्या निदेशालय के आकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड के 6034 परिवारों के कोई एक सदस्य रोजगार राज्य के कारण बाहर है। वहीं इन्हीं दो वर्षो में ऐसे परिवारों की संख्या 3045 है जो देश के अन्य हिस्से में पलायन के कारण अन्य हिस्से में पलायन के कारण विस्थापित हो गये है जबकि सन् 2016 के आकड़े यह बताते है कि विगत 16 वर्षो में उत्तराखण्ड से 32 लाख लोगों ने पलायन किया है। 280615 मकानों पर ताले पड़े है। उत्तराखण्ड सरकार की अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग की डायरी के अनुसार यहां देहरादून जिले के पहाड़ी क्षेत्रों से हुआ है। जिसमें 46428 घर पूर्ण रूप से पलायन का शिकार हुए है, जबकि गढ़वाल मण्डल के अन्य जिलों में जैसे पौड़ी 38764 परिवारों में, टिहरी में 37750 चमोली में 20763 उत्तरकाशी में 12844, रूद्रप्रयाग में 23949, बागेश्वर में 11556, जबकि चम्पावत में 12727 घर पूरी तरह से खाली हो गये हैं पलायन के इस प्रभाव के कारण निरन्तर भूमि के क्षेत्रफल में गिरावट दर्ज की गयी है वर्तमान में उत्तराखण्ड में केवल 13.5 ,प्रतिशत भूमि में कृषि की जाती है जबकि राष्ट्रीय औसत 43 प्रतिशत है। नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन की 2003 से लेकर 2008 तक के आकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर भूमि हीन किसानों की संख्या 21 प्रतिशत से 37 प्रतिशत हो गयी है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे भूस्खलन, डैम निर्माण आदि कारणों द्वारा अधिग्रहण हो सकता है। हे0न0ब0ग0के0वि0वि0 के शोधार्थी के अनुसार 10 पहाडी जिलों का उत्तराखण्ड की जी0डी0पी0 में 35 प्रतिशत योगदान है जबकि मैदानी जिलों का योगदान 65 प्रतिशत है जो यह सिद्ध करता है कि पर्वतीय आचलों में मानव श्रम की गति अत्यधिक कम है शोधार्थी के विश्लेषण के अनुसार आने वाले कुछ दसकों में ही पर्वतीय जिलों के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र पलायन के कारण जन शून्य हो जायंगे तथा जिला मुख्यालय व छोटे शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा।

9 नवम्बर सन् 2000 के बाद उत्तराखण्ड में गठित सरकारों ने पलायन रोकने हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, एक वर्षीय योजनाओं को लागू किया इसके अतिरिक्त वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना, बेरोजगारी भत्ता केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना, गौरा देवी कन्या धन योजना, हीटो पहाड़ योजना, अल्पसंख्यक कल्याण योजना अनुसूचित जाति–जन जाति विकास योजना बागवानी कृषि योजना, मत्स्य एवं भेड़ पालन येाजना, आदि के माध्यम से पलायन रोकने का प्रयास कर रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अनुमान के मुताबिक 16000 गांव में करीब 45000 एन0जी0ओ0 काम कर रहे है कुछ हद तक पर्यावरणीय पेरोकार के बावजूद पलायन रोकने में कामयाब हुए है परन्तु इस समस्या की विकरालता के कारण ये प्रयास गौण साबित हो रहे है।

उत्तराखण्ड का निर्माण यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जनता की समस्या के समाधाान हेतु किया गया था परन्तु पहाड का पानी तथा पहाड़ की जवानी यहाँ के काम आये ऐसी मनसा से आन्दोलनकारियों ने आन्दोलन की यज्ञ वेदिका में अपने प्राणों का बलिदान देकर इस नवीन पर्वतीय राज्य की नीव रखी थी परन्तु राज्य निर्माण के बाद उत्तराखण्ड की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया जिसका कारण यहाँ के पानी की पलायन गति पूर्व के समान हो रही है परन्तु यहाँ जवानी के पलायन की गति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिस उददेश्य हेतु उत्तराखण्ड का गठन किया गया था यह वर्तमान में निरर्थक साबित हो रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–पत्र में पलायन के विभिन्न पहलुओ को समझने का प्रयास किया गया है जिससे पलायन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिल सके।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः पूर्ववर्तीय पलायन भौगोलिक समस्याओं से ग्रसित था परन्तु राज्य निर्माण के बाद कुछ हद तक सामाजिक समस्या बन गई है। अब शहरों की ओर पलायन सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

प्राथमिक स्रोत

सेन्टल लाइब्रेरी एच0एन0बी0 ग0 विश्वविद्यालय।
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व राष्ट्रपति भवन शिमला।
राज्य अभिलेखागार देहरादून ।
क्षेत्रीय अभिलेखागार नैनीताल।
सरकारी अभिलेख, गजेटियर, विधान रिपोर्ट , सूचनायें , सर्वे ऑफ इण्डिया देहरादून।
***मौखिक स्रोत** – साक्षात्कार।*
सरकारी रिर्पोट तथा मुद्रित सामग्री।
प्रशानिक पत्र, सनद, जनसंख्या रिर्पोट, शोध ग्रन्थ व लेख।
वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र देहरादून।
समाचार पत्र।
उत्तराखण्ड मासिक पत्रिका।
आर्थिक समीक्षा 2015–16 अर्थ एवं संख्या विभाग , उत्तराखण्ड सरकार।
उत्तराखण्ड डायरी, उत्तराखण्ड सरकार।